ब्ंबपजल ठनपसकपदह व ठडब्सुजाग्रति संस्था द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों को सक्रियकरण किया

जैवविविधता संरक्षण की दृष्टि से जैवविविधता प्रंबधन समितियां अपने कार्य के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र में जैवविविधता के संरक्षण, प्रंबधन और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के मुद्दों पर केन्द्रित हो तथा प्रजातियों व अनुवांशिक संसाधनों के स्थाई उपयोग तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों के समान वितरण सुनिश्चित करने पर बल दें। इसी उद्देश्य को लेंकर सुजाग्रति समाज सेवी संस्था मुरैना द्वारा समितियों की क्षमता वृद्धि का कार्य कर रही है। अभी 5 गांव की जैवविविधता प्रंबधन समितियों को क्रियाशील किया गया है क्रमशः पिपरई 17/08/2015, लंगड़िया 15/08/2015, विण्डवा 19/08/2015, देवरी 21/08/2015, बामसौली 26/08/2015। समितियों के क्षमता वृद्धि के रूप में निम्न एजेंडा रहा–

1 जैवविविधता तथा जैवविविधता अधिनियम 2002 का महत्व– जैवविविधता अधिनियम की अवधारणा जैवविविधता समिति के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को ग्रांम वासियों को समझाई साथ ही साथ जैवविविधत के क्रियांवन हेतु ढांचे के तहत् राष्ट्रीय स्तर पर जैवविविधत प्राधिकरण चैन्नई में प्रदेश स्तर पर जैवविविधता बोर्ड तथा जैवविविधता प्रबंधन समितियां जिला ब्लॉक एवं ग्रांम स्तर पर जो कि जैवविविधता का संरक्षण एवं संबर्धन कार्य करेगीं।

2 स्थानीय दस्तावेजीकरण (लोक जैवविविधता पंजी)– लोक जैवविविधत पंजी का महत्व तथा क्षेत्र के संसाधनों, जैवदूत तथा पारंपरिक ज्ञान का सूचीकरण को लेकर समिति तथा ग्रांम वासियों को बताया।

3 जैवविविधता संसाधनों की पहुंच के नियम की प्रक्रिया– पिपरई गांव में जैव संसाधन के रूप में क्या–क्या चीज है उस बिषय में ग्रांम वासियों से जानकारी ली तथा उसे प्राप्त कर कैसे कंपनियों तथा व्यापारियों को दिया जाये उस पर जैवविविधता शुल्क पर भी चर्चा की गई।

4 जैवविविधता निधि– जैवविविधता निधि का संधारण कैसे करें वित्तीय प्रंबधन एवं दस्तावेजीकरण पर विस्तृत चर्चा की गई।

ग्राम पिपरई में संस्था द्वारा क्षमता वृद्धि कार्यकम

लंगड़िया में संस्था द्वारा क्षमता वृद्धि कार्यकम

अध्यक्ष
सुजाग्रति समाज सेवी
संस्था मुरैना म0 प्र0